-1-

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

रघबीर उर्फ रघुवीर बल्द धीरा आदिबासी ,

निबासी ग्राम बेलईघाट, तहसील नरयावली जिला सागर म0 प्र0

................आवेदक

वनाम

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर महोदय सागर जिला सागर

.... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959 :—

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :—

1— यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायायल अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्र0 क0 150/अ—21/2013—14 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 04/03/2014 से परिवेदित होकर कर रहा है। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार है।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदक द्वारा एक आवेदनपत्र कलेक्अर महोदय, जिला सागर को ग्रामा बेलईघाट प0ह0 नं0 11, तहसील नरयावली (सागर), जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 158 रकवा 0.30 हैक्टेयर बिक्रय करने की अनुमति प्रदान करने वावद प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर कलेक्अर महोदय द्वारा प्रकरण नायब तहसीलदार सागर को जांच वावद भेजा गया। तहसीलदार द्वारा पटवारी/रानि से विधिवत रूप से प्रतिकेवदन प्राप्त करके प्रकरण अपने प्रतिवेदन दिनांक 11/09/2012 सहित अनुविभागीय अधिकारी महोदय सागर को भेजा। जहां से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 29/09/2012 अपनी सहमति सहित प्रकरण अपर कलेक्अर महोदय सागर जिला को भेज दिया। जिसमें कलेक्टर महोदय द्वारा सुनवाई

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1845 /II/2016 जिला– सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश **रघुवीर आदिवासी वनाम म0 प्र0 शासन**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-6-16	1— मैंनें प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय, अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्र0क0 150/अ–21/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 04/03/2014 से परिवेदित होकर की है। 2— आवेदक के अध्विक्ता के तर्क श्रवण किये गये। उनके द्वारा अपने तर्कों में उन्हीं तथ्यों एवं आधारों को बतलाया गया है, जो कि निगरानी मीमों में लेख किये गये हैं। उनके द्वारा बताया गया कि, आवेदक द्वारा एक आवेदनपत्र अपर कलेक्टर, सागर को ग्राम बेलईघाट, तहसील एवं जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 158 रकवा 0.30 हैक्टेयर यानि 75 डिस्मिल बिक्रय करने की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया था। जिसके आधार पर अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण अपर तहसीलदार नरयावली को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वावद भेजा गया। नायब तहसीलदार द्वारा पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त करके प्रकरण उनके प्रतिवेदन दिनांक 11/09/2012 सहित, अनुविभागीय अधिकारी सागर को भेजा। जहां से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपनी सहमति सहित प्रकरण अपर कलेक्टर को भेज दिया। जिसमें कलेक्टर द्वारा सुनवाई करते हुये अपने प्रकरण कमांक 135/अ–21/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 12/12/2013 के द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। जिससे परिवेदित होकर आवेदक द्वारा एक अपील अपर आयुक्त सागर संभाग के समक्ष प्रस्तुत की थी, जो कि उनके द्वारा निरस्त कर दी गई। जिसके विरूद्व आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की है। आवेदक द्वारा अपनी निगरानी के साथ कलेक्टर के संपूर्ण प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि की छाया प्रति सूचीबद्व करके प्रस्तुत की है।	

(2) निगरानी प्रकरण क्रमांक /845 /I/2016

3— मैंने आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को श्रवण किया, प्रकरण का अवलोकन किया। जिसके अनुसार आवेदक द्वारा जो भूमि बिक्रय करने का कारण बताया है, उसमें उसके परिवार में सात सदस्य हैं, जिनमें चार लड़का एवं दो लड़की हैं, जिनके शिक्षादीक्षा, शादीविवाह आदि के लिये तथा अन्य ग्राम खाकरौन स्थित भूमि में सुधार कार्य करने वावद पैसों की अवश्यकता होना बताया है। साथ ही आवेदित भूमि ग्राम खाकरौन से 5 किमी दूर होने के कारण तथा अनुपजाउ होने से बिक्रय करना चाहता है। पटवारी एवं नायब तहसीलदार द्वारा अपने प्रतिवेदन में वादभूमि भूमिस्वामी हक की बताई है, पटटा की नहीं है, असिंचित है, बिक्रय सदभावपूर्वक हो रहा है, बिक्रेता भूमिहीन नहीं होगा, आदि तथ्य लेख करके प्रकरण में भूमि बिक्रय करने की अनुशंशा सहित प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी सागर को प्रेषित किया है, जिनके द्वारा भी भूमि बिक्रय करने की अनुशंशा की गई है। आवेदक द्वारा भी एक शपथपत्र तत्संबंध में प्रस्तुत किया गया है, बैंक का नो डयूज प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। आवेदक भूमि हीन नहीं हो रहा है, उसके पास ग्राम खाकरौन में 1.630 हैक्टेयर भूमि शेष बच रही है। कलेक्टर तथा अपर आयुक्त सागर द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं नायब तहसीलदार की रिपोर्ट को नजर अंदाज करके आदेश पारित किया गया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करके कलेक्टर सागर एवं अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12/12/2013 एवं 04/03/2014 निरस्त किये जाते हैं। आवेदक को ग्राम बेलईघाट, प0ह0नं0 11, तहसील एवं जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 158 रकवा 0.30 हैक्टेयर/0.75 एकड़ शासकीय गाईड लाईन पर बिकय करने की अनुमति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि, संबंधित उप पंजीयक बिकय पत्र संपादित करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि आवेदक को बिकय राशि का भुगतान उनके समक्ष ही किया जाबे। उपरोक्तानुसार निगरानी निराकृत की जाती है। प्रकरण का परिणाम दर्ज करके राजस्व मंडल का यह प्रकरण दा0 द0 हो।

सदस्य